

उत्पादन अवसंरचना का विकास

उत्पादन अवसंरचना योजना के विकास केलिए प्रचालनात्मक मार्गनिर्देश

1. प्राक्कथन

1.1. एम एस एम ई मंत्रालय के उत्पादन अवसंरचना के विकास पर प्रधान आकर्षण जो कि कयर बोर्ड कार्यान्वित है , जो कि एम एस एम ई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय , कयर क्षेत्र के धारणीय विकास केलिए अवसंरचना विकास कर रही है | इस योजना के अंतर्गत नए कयर एककों को शुरू करने और कयर क्षेत्र के धारणीय विकास के लिए मौजूदा एकक का आधुनीकरण शामिल है | गैर पारंपरिक नारियल उत्पादित राज्यों में नारियल कृषि होने के कारण , कयर बोर्ड की सहायता से कयर उद्योग अपनी गतिविधियाँ इन राज्यों तक फैलाया, ताकि नए कयर एककों के लिए अवसंरचना विकसित किया जा सके |

1.2. यह योजना 7^{वें} पंचवर्षिय योजना से चलन में है | XI वीं योजना में एकक के लिए उपलब्ध सहायता उपकरण के खर्च का %25 और नए एककों की अवसंरचना के लिए 6,00, और मौजूदा एककों के आधुनिकीकरण के 000 2 लिए,00, की सहायता दी जाएगी | अधिक चीजों के उत्पादन में लगे 000 -/9,00,000 सब्सिडी की अधिकतम स्वीकार्य राशि ,हुए एककों के मामले में है। XII वीं योजना के तहत मौजूदा पैरामीटरों के लिए वित्तीय सहायता पहले दो साल तक चालू रही |

योजना का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया | मूल्यांकन एजेंसी और संबंधित घटकों को मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि उच्च उत्पादकता, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन लागत क्षमता और कयर , क्षेत्र की प्रतियोगिताओं के लक्ष्य को पाने के लिए योजना को XII वीं योजना अवधि में जारी रखी जाएगी |

2. लक्ष्य

- उत्पादन एककों को आधुनिक अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करना जिससे उत्पादकता एवं गुण में सुधार आए
- नए अत्याधुनिक कयर संसाधन एकक की स्थापना करना
- संभावित क्षेत्रों में उद्योग को फैलाना

- उपलब्ध कच्चे माल के उपयोग को बढ़ाना
- देहाती इलाकों में खासकर महिलाओं के लिए नए रोजगार पैदा करना
- उद्योग में नई पीढ़ी को आकर्षित करना
- मौजूदा एककों का आधुनिकीकरण
- उच्च मूल्य उपभोक्ता अभिविन्यस्त उत्पादों का उत्पादन
- कयर उद्योग को प्रतियोगी बनाना
- परिस्थिति अनुकूल उत्पादन तकनीकों को अपनाना
- प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ प्रदूषण रहित कयर उद्योग के लक्ष्य प्राप्त करना

3. नोडल एजेंसी

उप क्षेत्रीय/ इस योजना को कयर बोर्ड के क्षेत्रीय -कयर बोर्ड कोच्चि नोडल एजेंसी है 3.1 कार्यालयों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। जहाँ भी जरूरी हो, केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा और कयर उद्योग के विकास और संवर्धन में लगे संस्थानों द्वारा तकनीकी सहायता दी जाएगी | योजना को नियमित रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा आवधिक रूप से अनुवीक्षण किया जाएगा।

.3.2 क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय अधिका /री आवेदन पाएँगे, उस पर कार्रवाई करेंगे और नियमानुसार सहायता की मात्रा का मूल्यांकन करेंगे और इसे सभी दस्तावेजों के साथ नोडल एजेंसी को अग्रेषित करेंगे ताकि सभी एककों के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति मिले ।

.4 योजना हस्तक्षेप

.4.1 व्यक्ति, सहकारिता समितियाँ, एन जी ओ, स्वयं सहायक संगठन और मशीन निर्माता योजना के कार्यान्वयन के पणधारी हैं | उत्पादन और अर्थ व्यवस्था में वृद्धि अवसंरचना विकास द्वारा ही संभव है | यह उच्च मूल्य उपभोक्तोन्मुख उत्पाद द्वारा उद्योग के धारणीयता के लिए है, और यह आधुनिक मशीनरी अधिस्थापित करके ही की जा सकती है |

.4.2 देश में कयर एककों की , कयर बोर्ड द्वारा कयर उद्यमी योजना की शुरुआत से लाख रु की परियोजना लागत के साथ प्रदान की 10.00 स्थापना के लिए वित्तीय सहायता 25 जाती है । परियोजना लागत की% की दर से सहायिकी डीफाइबरिंग एकक की स्थापना के लिए अधिकतम ,.लाख रु 6.00 स्वचालित कताई मशीन के लिए लाख रु और 4.00

लाख रु तक प्रदान की जाएगी । मिश्रित या 5.00 कयर पिथ एकक सहित अन्य के लिए
लाख रु है । 9.00 बहु एककों के लिए अधिकतम वित्तीय सीमा की सहायता

.4.3सहायिकी राशि के आकलन के लिए इमारत का दाम डीफाइबेरिंग और कयर पिथ ,
तक सीमित है और स्वचालित स्पनिंग एकक सहित .लाख रु 8 एककों के लिए अधिकतम
है । मौजूदा एककों के आधुनिकीकरण के लिए केवल नई .लाख रु 6 अन्य एककों के लिए
उपकरण और नए वर्क शेड के आधार पर सहायिकी दी जाएगी /मशीनरीजो लाख प्रति 2
एकड है । नए और मौजूदा एककों के लिए परियोजना खर्च के अंतर्गत ज़मीन का खर्च
जोडा नहीं जाएगा । गैर पारंपरिक ऊर्जा संपदा/ डीजल जेनेरेटर यूनिट को /डीजल इंजन /
कार्य करने के लिए अलग पॉवर लाइन के खर्च को परियोजना की सहायिकी दिलाने के लिए
गिना जाएगा।

.4.4सहायिकी का वितरण

कयर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय उप क्षेत्रीय कार्यालय से पूरा किए गए आवेदन/दिन के अंदर कयर बोर्ड सहायिकी का वितरण सुनिश्चित करेगा। 21 को पाने की तिथि से संबंधित इलाके का प्रभारी आवेदन प्राप्त कर सकता है और उ / क्षेत्रीय अधिकारीस पर कारवाई कर सकता है। क्षेत्रीय अधिकारी कयर बोर्ड की प्रभारी जांच / उप क्षेत्रीय कार्यालय / करेंगे, स्त्यापित करेंगे और सहायता की मात्रा का मूल्यांकन करेंगे और आवेदन को सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र को कयर बोर्ड मूल्यांकन भेजेंगे। मुख्यालय से सहायिकी हितभोगी के खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए हितभोगी बोर्ड को बैंक खाते का विवरण देंगे। बोर्ड से पत्र प्राप्त होने के बाद उसे मुख्यालय में इंशुरेंस पालिसी, प्री रसीद जमा करनी होगी। जारी कार्रवाई दिनों के अंदर पूरी की जाएगी 90। उन मामलों में जहाँ सहायिकी उप क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, दिनों के अंदर वितरित नहीं की जाती है 90 कारण सहित बोर्ड को लिखेंगे। सभी आवेदनों को ओनलाइन बनानी चाहिए, यूसर आई डी के साथ पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कयर बोर्ड वेबसाइट पर आवेदनों की स्टेटस प्रकाशित की जाएगी।

योग्यता

.5.1कयर उद्योग नियम (पंजीकरण), के तहत पंजीकृत नए कयर संसाधन एकक 2008 लाख से ज़्यादा है 10 देश के कयर क्षेत्र जिनकी परियोजना खर्च :और क्रमश, जो कि कयर उद्यमी योजना के अनुसार सिलिंग की गई है वे योजना के तहत सहायता के लिए योग्य है। विवरण इस प्रकार है-

- जो कयर एकक योजना की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं वे कयर उद्योग के तहत पंजीकृत करें 2008 नियम (पंजीकरण)।
- योजना के तहत सहायता देश भर के कयर क्षेत्र को दी जाएगी।
- लाख रु से ज़्यादा है या कयर उद्यमी योजना के 10 जिनकी परियोजना दाम सीलिंग से ज़्यादा है उन्हें ही योजना के तहत सहायता के लिए विचार किया जाएगा।
- कयर एकक के पास विद्युत सुविधा या जेनेरेटर होनी चाहिए।
- प्रभारी सारे दस्तावेजों / उप क्षेत्रीय अधिकारी /प्रस्तुत क्षेत्र का क्षेत्रीय अधिकारी के साथ आवेदन इकट्ठा कर सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी कयर बोर्ड के प्रभारी जांच/ उप क्षेत्रीय अधिकारी /

करेंगे और सहायता की मात्रा का निर्धारण करेंगे और आवेदनों को सक्षम अधिकारी के पास मंजूरी पाने के लिए कयर बोर्ड मुख्यालय भेजेंगे ।

- वर्क शेड में परियोजना के लिए जरूरी सिविल कामों को पूरा करने की सुविधा होगी।
- योजना के तहत उपकरण और मोटर सी आई एस द्वारा निर्धारित स्तर के नीचे नहीं होनी चाहिए ।
- ज्यादा आइटम उत्पादित करनेवाले एककों के लिए वित्तीय सहायता का लाख रुपया होगा कयर एकक जो अकेले आइटम जैसे 9 ओवरोल सीलिंग कयर रेशा, कर्लड कयर, कयर यार्न, कयर मेट, कयर मैटिंग, कयर कंपोसिट उत्पाद आदि उत्पादित करते हैं उन्हें अलग यूनिट के रूप में माना जाएगा और इन मामलों में क्रमश आइटम के लिए सहायिकी की सीलिंग निर्धारित : की जाएगी।
- भिन्न मशीनरी आइटम के सीलिंग दाम मशीनरी के कंपोनेंट के दाम को निर्धारित करने के बाद कयर बोर्ड निर्धारित करेगा ।
- कयर बोर्ड के निर्धारित /उपकरण बी आई एस/मशीनरी ()स्तर के आधार पर और उद्यमकर्ता रसीद इनवोइस के अनुसरण में खरीदी जानी चाहिए । हाईटेक कयर / संसाधन एककों के लिए आयातित मशीनरी के लिए वे अपना कारण देंगे।
 - मशीन सप्लाई करनेवाले एक साल का निष्पादन गारंटी देंगे, कयर बोर्ड की योजना के तहत सहायता पाने पर वे इसकी एक प्रति अपने पास रखेंगे । जहाँ मशीनरी आयातित है, एकक इन्वोइस, शिपिंग बिल जो कि सीमा शुल्क अधिकारी डी जी एफ टी बैंक द्वारा प्रमाणित इन्वोइस या शिपिंग बिल होनी / चाहिए।
 - सहायिकी रकम के आकलन के लिए इमारत की दाम को परियोजना के सहायिकी के लिए विचार किया जाएगा।
 - जहाँ आधुनिकीकरण के लिए परियोजना की है ; नई मशीनरी / वर्क शेड को दाम को परियोजना के सहायिकी के लिए /जेनेरेटर/उपकरण विचार किया जाएगा
 - परियोजना खर्च में जमीन का दाम शामिल नहीं किया जाएगा।
 - सहायिकी के तहत योजना उन्हीं उद्यमकर्ताओं के लिए होगा जो केंद्र राज्य/ सरकार से पी एम ई जी पी,सी यू वाई आदि योजना के तहत सहायिकी नहीं ली हो और इसके लिए उन्हें स्व घोषित पत्र देना होगा ।
 - जहाँ वास्तविक दस्तावेज़ बैंक में गिरवी रखी गई है, वहाँ के बैंक मैनेजर से सही दस्तावेज़ पर साक्ष्यांकित की जानी चाहिए।

- उप क्षेत्रीय अधिकारी और कयर बोर्ड के मूल्यांकन से सही /क्षेत्रीय अधिकारी दस्तावेज़ पाने के बाद आवेदन पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर विचार किया जाएगा।

7. योजना के अंतर्गत मशीनरी की अधिप्राप्ती/दाम

.7.1 सभी मशीनरी जो कयर संसाधन एकक के लिए जरूरी है | वे बी आई एस कयर बोर्ड/ विनिर्देश के अनुसार हों जहाँ मशीनरी आयातित है उसके आयातित संबंधित दस्तावेज़ देनी होगी यह भी प्रमाणित किया जाना है कि मशीनरी का विवरण एवं वित्तीय सहायता के लिए अनुरूप खर्च दी गई है। समय समय पर अनुमानित खर्च को फील्ड स्थिति एवं मशीनरी के निर्माण के आधार पर कयर बोर्ड संशोधित करेगा |

गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन 7.2, पॉवर जेनेरेटर सेट, डीजल इंजन अलग इलेक्ट्रिकल पॉवर / स्टेशन आदि के मामले में मौजूदा और नए एककों में परियोजना खर्च के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी |

.7.3 मशीनरी के विकास में प्रौद्योगिक प्रगति ,नवरूप, नए संसाधन प्रौद्योगिकीयाँ, उत्पाद विविधीकरण, हो यह एकक के मालिक के औचित्य के आधार पर होगा |

.8 सामान्य निर्देश

.8.1 योजना के तहत अनुमेय ग्रेट उद्यमकर्ता को तभी वितरित किया जाएगा जब एकक उत्पादन शुरू करेगी।

.8.2 एकक के उत्पादन शुरू करने के महीने के अंदर नए एककों के लिए वित्तीय 12 सहायता के ग्रेट लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन दी जाए। उस इलाके के जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक द्वारा जारी एम एस एम ई पंजीकरण प्रमाण पत्र से उत्पादन की शुरुआत की जानी चाहिए हालांकि अध्यक्ष कयर बोर्ड आवेदन देने में देरी होने पर लिखित रूप में दिए गए कारणों को माफ भी कर सकते हैं।

के तहत पंजीकृत है और 2008 नियम (पंजीकरण) नए एकक वह है जो कयर उद्योग 8.3 तक कयर बोर्ड को प्राप्त या 31.03.2015 महीना पूरा न किए हो | 12 उत्पादन शुरू कर

लंबित आवेदनों पर पुराने मार्ग निर्देशानुसार कारवाई की जाएगी। के बाद 01.04.2015

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले एककों के लिए ही संशोधित परिचालन मार्गनिर्देश लागू होगा |

योजना के अंतर्गत अनुदान लेने वाले उद्यमकर्ता अपनी संपत्ति को वहीं पर गिरवी रखें 8.4 जहाँ से लोन लिया गया था।

योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की वापसी उद्यमकर्ता से केवल वैधिक रूप से वापस 8.5 लेना चाहिए।

-)जहाँ गलत तथ्य पेश कर योजना के तहत सहायता पाई गई .(हो, या जहाँ मशीनरी और यूनिट अन्य कामों के लिए उपयोग में लाया गया है, सहायता अवधि के दौरानसाल । 3 यानि ,
- जहाँ उत्पादन के शुरू होने के तीन साल के अंदर एकक में उत्पादन रुक जाती है, वह महीने तक कच्चे माल की कमी, पॉवर, स्वाभाविक आपदा आदि के कारण

.8.7एकक जो एक बार सहायता ले चुका है दोबारा आधुनिकीकरण के तहत वित्तीय सहायता ले सकता है | बशर्ते कि एकक को सफलतापूर्वक तीन सालों के लिए चलाया हो| आधुनिकीकरण के तहत नया वर्क शेड नए उपकरण जेनेरेटर आदि/ गाडी/हैंडलिंग उपकरण/ के लिए सहायता दी जाएगी।

योजना के तहत स 8.8हायिकी के संबंध में कोई विवाद हों तो अध्यक्ष कयर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

.8.9अवसंरचना में वर्क शेड, सोकिंग टैंक, सुखानेवाले यार्ड कुआँ और जेनेरेटर ग्रामीण क्षेत्र अए अलह पॉवर लाइन, हैंडलिंग एक्यूपमेंट, गतिमा आदि आती है एकसेरीज में मोटर, स्टाटर, कपासिटर, मेन स्विच फ्यूज़ इक्यूपमेंट आदि शामिल है |

योजना के सफल आयोजन के लिए कयर बोर्ड मार्ग निर्देश मशीनरी खरीदने के लिए 8.10 फार्म एककों की स्थापना, सहायता के लिए आवेदन देना, क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड/ मुख्यालय आदि से आवेदन पर कार्रवाई शामिल है।

.9उम्मीदवारों की सूची को बनाए रखना

उप क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड के मुख्यालय में और कयर बोर्ड के वेबसाइट में उम्मीदवारों की सूची प्रदर्शित की जाए | कयर बोर्ड के वेबसाइट में एक डाटा बैंक शुरू की जानी चाहिए।

.10अनुवीक्षण और मूल्यांकन

कयर बोर्ड के संयुक्त निदेशक नोडल अधिकारी होंगे (योजना)। क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय कार्यालयों / द्वारा नियमित अंतराल में एककों का अनुवीक्षण किया जाता है। अनुबंध 11-में अनुवीक्षण प्रोफोर्मा दिया जाता है | बाहरी एजेसियां द्वारा योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जाएगा | नोडल मंत्रालय द्वारा योजना को नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाएगा |

परिशिष्ट-1

इकाई का प्रकार	अनुमानित लागत (रु.)
1. कयर रेशा निष्कर्षण इकाई	
क) डीफाइबरिंग इकाई	
i) क्रशर	3,50,000
ii) सोकिंग टैंक	4,00,000
iii) डीफाइबरिंग मशीन - 2 रु.3,75,000/-	7,50,000
iv) मोटर सहित रीवोल्विंग स्क्रीनर	90,000
v) टर्बो डबल क्लीनर	3,00,000
vi) मोटर के साथ वाहक प्रणाली	35,00,000
vii) हैड्रालिक बेइलिंग प्रेस-35 कि.ग्रा.	2,00,000
viii) हैड्रालिक बेइलिंग प्रेस (100-150 कि.ग्रा. कैप)	12,00,000
ix) क्रशर, सोकिंग टैंक, सोकिंग यार्ड, डीफाइबरिंग मशीन, स्क्रीनर, पिथ निष्कासन आदि तक छिल्के को ले जाने के लिए वाहक	20,70,000
x) विद्युत सामान	4,50,000
xi) कुआ एवं पंपसेट	1,00,000
xii) डीसल जनरेटर/डीसल इंजन - केवल इकाई के लिए ग्रामीण फील्डर से बिजली लाईन खींचने के लिए व्यय	4,00,000
ख) डीकोर्टिकेटिंग इकाई	
i) क्रशर	2,70,000
ii) स्क्वीज़र	2,70,000
iii) सोकिंग टैंक	4,00,000
iv) डीकोर्टिकेटर - 2 @ रु.5,40,000/-	10,80,000
v) स्क्रीनर	90,000
vi) हैड्रालिक बेइलिंग प्रेस (35 कि.ग्रा.)	2,00,000
vii) हैड्रालिक बेइलिंग प्रेस (100-150 कि.ग्रा.)	12,00,000

viii)	क्रशर से स्क्वीज़र तक वाहक, स्क्रीनर के लिए डीकोर्टिकेटर और कयर पिथ निष्कासन	17,00,000
ix)	मोटर को छोड़कर बिजली उपसाधन	2,50,000
x)	कुआँ एवं पंप सेट	1,00,000
xi)	डीसल जनरेटर/डीसल इंजन - केवल इकाई के लिए ग्रामीण फील्डर से बिजली लाईन खींचने के लिए व्यय	4,00,000
2. स्वचालित /यंत्रिकृत कयर यार्न कटाई इकाई		
3. कर्लड कयर उत्पादन इकाई		
i)	कलिंग मशीन - 3 प्रति मशीन के लिए रु.4,00,000/- की दर से	12,00,000
ii)	हैकलिंग मशीन	1,50,000
iii)	यंत्रिकृत वाइन्डिंग मशीन	40,000
iv)	कुआँ एवं पंप सेट	1,00,000
v)	डीसल जनरेटर/डीसल इंजन/ केवल इकाई के लिए ग्रामीण फील्डर से बिजली लाईन खींचने के लिए व्यय	4,00,000
4. रबडीकृत कयर उत्पादन इकाई		
i)	अनटविस्टिंग मशीन (द्वि शीर्ष)	4,50,000
ii)	शीट मशीन 1.4 मीटर विस्तार	80,000
iii)	फीडर मशीन "	
iv)	लैटक्स स्प्रेयर "	
v)	कटिंग मशीन विस्तार 2.2 "	1,50,00,000
vi)	ड्रम प्रेस	5,50,000
vii)	हैड्रालिक प्रेस - 7 दिन	11,50,000
viii)	वल्केनाइजिंग चेम्बर - 40 मेट्रसस	3,50,000
ix)	बैंड-सा मशीन	10,50,000
x)	बाल मिल्स - 1000 लिटर्स (3 सं)	8,00,000
xi)	टिल्टिंग मशीन	50,00,000
xii)	बोइलर एवं उपसाधन	20,00,000
xiii)	डीसल जनरेटर/डीसल इंजन/ केवल इकाई के लिए ग्रामीण फील्डर से बिजली लाईन खींचने के लिए व्यय	4,00,000
5. कयर उत्पाद निर्माण इकाई (अर्ध स्वचालित करघा इकाई)		
i)	बोबिन वाइन्डिंग मशीन	2,10,000
ii)	कोप्स वाइन्डिंग मशीन	30,000
iii)	अर्ध स्वचालित करघा	
	1 मी. विस्तार	5,00,000
	1.5 मी. विस्तार	6,50,000
	2 मी. विस्तार	8,00,000
	4 मी. विस्तार	14,00,000
iv)	डाई वैट	
	50 कि.ग्रा. क्षमता	2,00,000

	100 कि.ग्रा. क्षमता	4,00,000
v)	कुआँ एवं पंप सेट	1,00,000
vi)	डीसल जनरेटर/डीसल इंजन/ केवल इकाई के लिए ग्रामीण फील्डर से बिजली लाईन खींचने के लिए व्यय	2,00,000
6. कयर उत्पाद निर्माण इकाई (अर्ध स्वचालित करघा इकाई)		
i)	बोबिन वाइन्डिंग मशीन (4 शीर्ष)	2,10,000
ii)	कोप्स वाइन्डिंग मशीन	55,000
iii)	पावरलूम - पीएलसी संचालित	
	1 मी. विस्तार	16,00,000
	1.5 मी. विस्तार	20,00,000
	2 मी. विस्तार	27,00,000
	4 मी. विस्तार	35,00,000
iv)	डाई वेट एसएस (टी 316)	
	50 कि.ग्रा. क्षमता	2,00,000
	100 कि.ग्रा. क्षमता	4,00,000
v)	कुआँ एवं पंप सेट	1,00,000
vi)	डीसल जनरेटर/डीसल इंजन/ केवल इकाई के लिए ग्रामीण फील्डर से बिजली लाईन खींचने के लिए व्यय	4,00,000
7. कयर पिथ उत्पाद निर्माण इकाई		
i)	रोटरी सीविंग मशीन	2,00,000
ii)	प्रत्यागामी सीविंग मशीन	1,25,000
iii)	पिथ ब्लाक निर्माण मशीन	8,00,000
iv)	650 ग्रा ब्लाक निर्माण मशीन	8,50,000
v)	कयर पिथ ग्रे बैग निर्माण मशीन	16,00,000
vi)	पिथ धुलाई मशीन	2,00,000
vii)	पिथ स्वीज़िंग मशीन	9,50,000
viii)	सामग्री प्रबन्धन उपकरण	12,00,000
ix)	परीक्षण उपकरण (पी एच मीटर, ड्रियिंग ओवन, इलक्ट्रॉनिक तोलन यंत्र आदि)	2,00,000
x)	बिजली उपसाधन, मोटर और ड्रियिंग यार्ड	2,00,000
xi)	कुआँ एवं पंपसेट	1,00,000
xii)	डीसल जनरेटर/डीसल इंजन/ केवल इकाई के लिए ग्रामीण फील्डर से बिजली लाईन खींचने के लिए व्यय	4,00,000
8. कयर रबड़-बैकड/रबड़ मोल्ड उत्पाद निर्माण इकाई		
i)	होट प्रेस (3 दिन)	9,00,000
ii)	मोल्ड सेट - 3 (एमएस या एसएस) - 6	3,50,000
iii)	रबड़ मिश्रण मिल	7,00,000
iv)	डीसल जनरेटर/डीसल इंजन/ केवल इकाई के लिए ग्रामीण फील्डर से बिजली लाईन खींचने के लिए व्यय	2,00,000

9. कयर रबर लेटेक्स समर्थित मैट और चटाई उत्पाद विनिर्माण इकाई

(i) स्वचालित फोमिंग इकाई (500-1000 लीटर क्षमता-एस एस - 2 नो)	3,00,000
(ii) स्प्रेडिंग यूनिट (बॉल मिल , प्लानिटोरी मिक्सर)	8,00,000
(iii) हॉट एयर वलकैनिसिंग सुखाने की कक्ष (4 मीटर । चौड़ाई)	15,00,000
(iv) डीजल जेनरेटर / डीजल इंजन / की ओर से व्यय ग्रामीण फीडर से यूनिट के लिए बिजली खींचने का व्यय	2,00,000

10) कयर समग्र उत्पाद विनिर्माण यूनिट

(i) बईल ओपेनर / फाइबर क्लीनिंग मशीन	4,00,000
(ii) कयर सहित (फेल्ड प्लांट शीट निर्माण मशीन सहित)	25,00,000
1 मीटर	40,00,000
1.5 मीटर	50,00,000
2.2 मीटर	10,00,000
(iii) फेल्ड इंप्रेग्नटिंग मशीन (2.2 मीटर. चौड़ाई)	20,00,000
(iv) रिजाइन केटल (50 लीटर । क्षमता)	25,00,000
(v) डाइस / कौयल प्लेट	75,00,000
(vi) हॉट कंप्रेशन हाइड्रोलिक प्रेस (3-5 दिन के प्रकाश)	5,00,000
1 मीटर x 1 मीटर	20,00,000
8 फुट x 4 फुट	4,00,000
(vii) ड्रिमिंग मशीन (8x4 फीट)	4,00,000
(viii) बॉयलर और सहायक उपकरण	4,00,000
(ix) धूल कलेक्टर	
(x) डीजल जेनरेटर / डीजल इंजन / ग्रामीण फीडर से विशेष रूप से यूनिट के लिए बिजली की लाइन खींचने का व्यय	

11 कयर सहित फेल्ड उत्पादन यूनिट

(i) बर्डल ओपेनर / फाइबर क्लीनिंग मशीन	4,00,000
(ii) कयर सहित प्लांट (शीट निर्माण मशीन सहित)	
1 मीटर चौड़ाई	25,00,000
1.5 मीटर चौड़ाई	40,00,000
2.2 मीटर चौड़ाई	50,00,000
(iii) बैंड साँ	2,00,000
(iv) वजनी बैलेंस	25,000
(v) धूल कलेक्टर	4,00,000
(vi) डीजल जेनरेटर / डीजल इंजन / यूनिट के लिए विशेष रूप से	4,00,000
ग्रामीण फीडर से बिजली की लाइन खींचने का व्यय।	
12. कयर मज्जा खाद उत्पादन यूनिट	
(i) परिक्रामी स्क्रीनर	90,000
(ii) मज्जा के उत्पादन के लिए लैब उपकरण	4,50,000
(iii) डीप फ्रीजर / ठंडे कमरे	1,50,000
(iv) स्पिंकलेर / पाइपलाइन और सहायक उपकरण	75,000
(v) पैकिंग उपकरण	2,00,000
(vi) हैंडलिंग उपकरण	5,00,000
(vii) कुआं और पम्प सेट	1,00,000
13. कयर उद्यान सामग्री उत्पादन यूनिट	

<ul style="list-style-type: none"> (i) बईल ओपेनर फाइबर /क्लीनिंग मशीन (ii) कयर सहित फेल्ड प्लांट (न्यूनतम 75 सेमी चौड़ाई) (iii) हाइड्रोलिक गर्म प्रेस (iv) स्वचालित स्टेरर रबर लेटेक्स मिश्रण के लिए (50 लीटर क्षमता) (v) हॉट एयर सुखाने का चैंबर / वल्कनीज़र (vi) किनारे काटने की मशीन (v) डीजल जेनरेटर / डीजल इंजन / ग्रामीण फीडर से विशेष रूप से यूनिट के लिए बिजली की लाइन खींचने का व्यय। 	<p>4,00,00 25,00,000</p> <p>9,00,000 1,50,000 10,00,000</p> <p>1,00,000</p> <p>2,00,000</p>
<p>14.) कयर मैट / चटाई कालीन / मुद्रण / फिनिशिंग / पैकिंग यूनिट</p>	
<ul style="list-style-type: none"> (i) शेरिंग मशीन (2 मीटर चौड़ाई) (ii) धूल कलेक्टर (iii) 1 लाख के दर पर 2 मुद्रण के लिए एयर कंप्रेसर (iv) रंगीन मिश्रण उपकरण (v) एयर पाइप लाइन, स्प्रे बंदूकें, मुद्रण प्लैटफार्म , आदि (vi) ऑटोमैटिक जूट की चटाई ब्लीचिंग प्लांट ट्रोल्ली के दो सेट के साथ (vii), हॉट एयर सुखाने चैंबर viii) कयर आसनों बद्धी मशीन (5 रुपये 40,000 प्रति मशीन के दर पर) (ix) डीजल जेनरेटर / डीजल इंजन / यूनिट के लिए विशेष रूप से ग्रामीण फीडर से बिजली की लाइन खींचने का व्यय। 	<p>3,50,000</p> <p>1,00,000</p> <p>2,00,000</p> <p>50,000</p> <p>2,00,000</p> <p>3,00,000</p> <p>10,00,000</p> <p>2,00,000</p> <p>2,00,000</p>
<p>15. कयर पीवीसी गुच्छेदार मैट उत्पादन यूनिट</p>	

(i) सभी उपकरणों के साथ कयर तफ्टिंग यूनिट (2 मीटर चौड़ाई)	150,00,000
(ii) उपकरणों के साथ बॉयलर	15,00,000
(iii) सामान के साथ के चिलर	6,00,000
(iv) डीजल जेनरेटर डीजल / इंजन ग्रामीण / फीडर से विशेष रूप से यूनिट के लिए बिजली की लाइन खींचने का व्यय।	4,00,000
16. स्वचालित कयर फाइबर / यार्न डाइंग / यूनिट	
(i)मैकेनिकल होइस्ट	12,00,000
(ii) एस.एस. डाई वैट (2)	18,00,000
(iii) हाइड्रो एक्स्ट्राक्टर- 100 किलो	5,50,000
(iv) सहायक उपकरण	6,00,000
(v) ड्रायर	15,00,000
(vi) बॉयलर और सहायक उपकरण	20,00,000
(vii) कुआं और पम्प सेट	1,00,000
(viii) डीजल जेनरेटर / डीजल इंजन / ग्रामीण फीडर से विशेष रूप से यूनिट के लिए बिजली की लाइन खींचने का व्यय।	2,00,000
17. कयर जियो टेक्स्टाइलस / चटाई उत्पादन इकाई (अनुग्रहा लूम यूनिट)	
(i) वारपिंग मशीन (2 मीटर चौड़ाई)	1,50,000
(ii) अनुग्रहा करघा	
1 मीटर चौड़ाई - 2 @ रुपये 35,000 / -	70,000
1.5 मीटर चौड़ाई - 2 @ रुपये 45,000 / -	90,000
2.00 मीटर चौड़ाई - 3 @ 60,000 /	1,80,000
(ii) डाई वैट एस.एस. (टी316)	2,00,000
50 किलो क्षमता -2	2,00,000
100 किलो क्षमता - 2	4,00,000

18. कयर मेट और चटाई उत्पादन इकाई (अनुपम करघा, वायवीय नियंत्रण)	
(i) वारपिंग मशीन (2 मीटर चौड़ाई)	1,50,000
(ii) अनुग्रहा करघा	
1 मीटर चौड़ाई - 2 @ रुपये 35,000 / -	70,000
1.5 मीटर चौड़ाई - 2 @ रुपये 45,000 / -	90,000
2.00 मीटर चौड़ाई - 3 @ 60,000 / -	1,80,000
(iii) डाई वैट एस.एस. (टी316)	2,00,000
50 किलो क्षमता -2	4,00,000
100 किलो क्षमता - 2	
(iv) डीजल जेनरेटर / डीजल इंजन / ग्रामीण फीडर से विशेष रूप से यूनिट के लिए बिजली की लाइन खींचने का व्यय	4,00,000

15. क्षेत्रीय कार्यालय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय कम से कम साल में एक बार उन सभी कयर इकाइयों पर निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिन्होंने बोर्ड से सब्सिडी का लाभ उठाया है ।

16. बोर्ड , सभी तरह से पूरा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दिन 21 की अवधि के भीतर सब्सिडी का

वितरण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सुनिश्चित करेगा ।

17. बोर्ड मध्यावधि मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा और एक प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करेगा ।

18. लाभार्थी यूनिट न्यायिकेतर 100 रुपये स्टैम्प पर एक समझौता अमल करेगा कि इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर वे नियमों और शर्तों को मानेगा ।

19. लाभार्थी इकाई कयर बोर्ड के योजना द्वारा दिये गए वित्तीय सहायता के कुल रकम के लिए आग और सामान्य बीमा पॉलिसी कवर करेगा । इकाई वित्तीय सहायता के रिलीज की तारीख से पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा कवरेज जारी रखेगा ।

20. मामलों की कुल संख्या का % 10 का दूसरा निरीक्षण कयर बोर्ड के सचिव द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी करेगा।

21. कार्यकारी निर्देश के कार्यान्वयन से उत्पन्न कोई भी विवाद, अध्यक्ष, कयर बोर्ड को भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

अनुबंध III

कयर बोर्ड के डीपीआई योजना के तहत वित्तीय सहायता के आवेदन के लिए चेकलिस्ट

1. आवेदन प्रपत्र i/ii
(सभी तरह से पूरा हैं या नहीं) हां
नहीं
आवेदन की प्राप्ति की तारीख (आवेदक रजिस्टर के अनुसार) दिनांक महीना
वर्ष
2. कयर बोर्ड पंजीकरण संलग्न हैं या
नहीं (अनुप्रमाणित प्रति हां नहीं) 3. एमएसएमईडी पावती
प्रतिलिपि संलग्न हैं या नहीं (अनुप्रमाणित प्रति) हां नहीं
4. नोटरी द्वारा प्रमाणित भूमि दस्तावेज़ की प्रतिलिपि संलग्न हैं या नहीं हां
नहीं
5. पट्टा भूमि दस्तावेज़ संलग्न हैं या नहीं हां
नहीं
6. इमारत की ड्राइंग, अनुमान, स्थानीय प्राधिकरण की मंजूरी सब ठीक हैं या नहीं
(क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय के साथ दस्तावेज़ रखा जा सकता है) हां
नहीं
7. इमारत का मूल्यांकन प्रमाणपत्र चार्टर्ड इंजीनियर से प्राप्त हुआ है या नहीं हां नहीं
8. क्या एकाधिक उत्पादों एकल/ उत्पाद यूनिट (विवरण)
- 9 अगर मशीनरी आयात की गई
- 10 सभी मशीनरी और उपकरणों की भुगतान और बिल का रसीद / चालान संलग्न हों
(बैंक के बिलों \ रसीदों का अनुप्रमाणित प्रतिलिपि
हाँ नहीं
11. यूनिट केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी सहायता के लिए आवेदन नहीं किया ,
इसका प्रमाण पत्र संलग्न किया है
हाँ नहीं

सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया है और सही/ वास्तविक पाया और यथोपरि संलग्न हैं ।

तारीख:

स्थान :

नाम:

हस्ताक्षर
क्षेत्रीय कार्यालय/ उपा क्षेत्रीय
कार्यालय

अनुबंध iv

नई इकाई की स्थापना के लिए बुनियादी उत्पादन ढांचे के विकास के अंतर्गत
कयर इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

निरीक्षण रिपोर्ट

1. यूनिट का नाम :
2. स्थान और पूरा पता :
3. संविधान :(कंपनी / भागीदारी/ स्वामित्व) :
4. कयर उद्योग पंजीकरण नियम 2008 के अधीन पंजीकरण संख्या :
5. एम एस एम ई पावती नंबर और तारीख :
6. उत्पादन शुरू होने की दिनांक :
7. भूमि अपनी हैं या लीज़ /लीज की अवधि :
8. मशीनरी और उपकरण का सामान भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार :
9. नोर्म के अनुसार पात्रता. :
10. इकाई की स्थापना के लिए अगर कोई ऋण लिया है तो उसका विवरण :
11. कार्यशेड का निर्माण स्थानीय अधिकारियों के निर्धारित प्रकार और डिजाइन के रूप में है या नहीं : हाँ नहीं
12. समिति का निर्धारित सिफारिश
(क) भवन :
(ख) मशीनरी :

- (ग) अन्य (स्पष्ट करें) :
13. यूनिट के निरीक्षण की तारीख ।.....
14. मशीनरी, चेकलिस्ट के साथ
विवरण के साथ संलग्न : हाँ नहीं
15. आवेदन का विवरण ऑनलाइन कर दिया और
यूजर आईडी, दिया हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : हाँ नहीं
कुल :
25% :
सिफारिश राशि :
- संयुक्त निरीक्षण दल के अधिकारी का हस्ताक्षर(सील) :
क्षेत्रीय कार्यालय हस्ताक्षर (सील) :
संयुक्त निरीक्षण

अनुबंध-V

सिविल बुनियादी सुविधाओं की उपयोगिता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह इमारत सर्वेक्षण सं-----में निर्मित किया ग.....
..गांव..... तालुक..... ।

जिला

राज्य योजना के अनुसार अनुमोदित

----- सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुसार है ।

कच्चे माल और तैयार भंडारण तंत्र की स्थापना केवल काँयर प्रसंस्करण के अनन्य उपयोग के लिए है।

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मूल्यांकन प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है

चार्टर्ड इंजीनियर के का नाम- :

2 बिल्डिंग एरिया का विवरण (एरिया व अन्य विवरण)

3 .मूल्यांकन के प्रमाण पत्र के अनुसार इमारत की लागत

विवरण :

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम और स्थान और पते

इकाई

तारीख:

(सील)

सत्यापित किया है और पाया सही नहीं / सही

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम(क्षेत्रीय कार्यालय /उप क्षेत्रीय कार्यालय/ ओआईसी)

नोट आवेदन के साथ संलग्न किया जाए

अनुबंध VI

मशीनरी /उपकरणों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित मशीनरीउपकरण / एमएसएमई पावती में
उल्लेख किया

गया कयर के प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जा रहा है ।
जिला उद्योग केंद्र द्वारा जारी किए गए) (क्षेत्र) से है।

आइटम	विधेयक / तारीख	लागत (रु)

नाम व हस्ताक्षर

स्थान:

एकक

तारीख:

(सील)

प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम क्षेत्रीय

कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय /ओआईसी)

नोट :आवेदन के साथ संलग्न किया जाए ।

अनुबंध vii

जनरेटर की स्थापना /ग्रामीण फीडर से अलग से बिजली लाइन खींचने
के लिए प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह जनरेटर / ग्रामीण फीडर से खींची गई बिजली लाइन इस कयर यूनिट के उपयोग के लिए है जो सर्वेक्षण संगांव तालुक , जिला राज्य..... यूनिट के नाम में हैं ।

जनरेटर के बिलों की प्रतियां और व्यय का विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्न है ।

स्टेशन :

हस्ताक्षर:

दिनांक :

नाम:

इकाई का
नाम
(सील)

प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

(ओआईसी)

नोट : आवेदन के साथ संलग्न किया जाए ।

अनुबंध viii
प्रमाण पत्र

प्रमाणित है कि नाम(.....) सर्वेक्षण सं.....में स्थितगांव
.....तालुक जिला राज्य. किसी
भी केन्द्र राज्य /सरकार योजनाएं अर्थात. पी एम आर ई जी पी ,कयर उद्यमी योजना,
एमएसई-सीडीपी योजना आदि
के तहत वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाया है।

स्थान हस्ताक्षर:

दिनांक:

नाम:

इकाई का नाम:

(सील)

प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

नाम

पद

(क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/ओआईसी)

नोट :आवेदन के साथ संलग्न किया जाए ।

अनुबंध ix

प्रमाण पत्र

प्रमाणित है कि श्रीके लिए मंजूर की गई वित्तीय सहायता / सिफारिशसर्वेक्षण संगांवमें स्थित तालुक जिला राज्य..... राशि..... कयर बोर्ड के उत्पादन अवसंरचना स्कीम विकास के तहत कयर इकाइयों के नियम और शर्तों के अनुसार है ।

यह यूनिट अगले तीन साल के लिए इस कार्यालय के निगरानी में होगा । सूचित किया जाएगा कि इकाई द्वारा प्रस्तुत समझौते से भिन्न कुछ देखा जाए तो महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को सूचित की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी ।

हस्ताक्षर:

क्षेत्रीयअधिकारी

दिनांक: (सील)

नोट :वित्तीय सहायता के आवेदन की सिफारिश के साथ प्रस्तुत किया जाए ।

अनुबंध X

मूल्यांकन समिति की चेकलिस्ट का आकलन करने के लिए गठित कयर बोर्ड योजना के तहत वित्तीय सहायता की मात्रा

अ. निम्नलिखित दस्तावेजों का सत्यापन

आवेदन : सत्यापित सही/गलत

दस्तावेजों की सूची : सत्यापित - सही /नहीं

जीएम/ डीआईसी का प्रमाण पत्र : - सत्यापित पाया सही /नहीं

बिल,चालान,वाउचर:- सत्यापित पाया सही /नहीं

भूमि दस्तावेज:- सत्यापित क्रम में सही /नहीं

भवन का अनुमान :- सत्यापित क्रम में सही /नहीं

आ. भवन मशीनरी उपकरण / का मूल्यांकन

(i) सिविल बुनियादी सुविधाओं का कुल मूल्य जिसमें सोकिंग टंकी शामिल : (रु..... (सीमा 8 लाख तक)

(ii) मशीनरी का कुल मूल्य : रु.....

(iii) सामान का कुल मूल्य : रु

(iv) जनरेटर विशेष फीडर /का कुल मूल्य : रु.....

(ब)प्रस्तावित सहायता की मात्रा (25 % कुल का)

(स)मानदंडों के अनुसार सहायता सीमित

कयर फाइबर निकासी में 6 लाख

स्वचालितकताई के मामले में 4 लाख

कयर पित प्रसंस्करण इकाई और अन्य के लिए रु 5 लाख

अनुबंध XI

घोषणा

तारीख:

कयर बोर्ड के अवसंरचना स्कीम उत्पादन के विकास के तहत सहायता की मात्रा का आंकलन करने के उद्देश्य के लिए गठित समिति ने सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया है

और रुपये के लिए सिफारिश की है कि बुनियादी ढांचे का %25अनुमोदन किया जा रहा है जो स्वतः:सर्वश्री..... द्वारा विकसित

कताई इकाई /मज्जा प्रोसेसिंग यूनिट / अन्य।

प्रशासनिक अधिकारी/संयुक्त निदेशक

क्षेत्रीय कार्यालय वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी

संयुक्त निरीक्षण दल

अनुबंध XII

सहमति

कयर उद्योग पंजीकरण नियम ,2008के तहत पंजीकरण संके तहत.....
एक तरफ से ,में पंजीकृत कर आगे से कयर यूनिट कहलाई जाएगी कार्यालय को
) 682016 कोच्चि (भारत सरकार) द्वारा प्रतिनिधित्व और कयर बोर्डआगे से कयर बोर्ड
कहलाया जाएगा के बीच किया गया समझौता ,दूसरी ओर सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा ()
|

उत्पादन अवसंरचना के विकास के तहत कयर बोर्ड कयर एककों को वर्कशेड के निर्माण
अवसंरचना सुविधाओं के लिए सहायता /आधुनिकीकरण केलिए/उपकरण खरीदने केलिए ,केलिए
देता है |

आधुनिकीकरण/उपकरणों की खरीद ,जबकि कयर एककों ने कयर बोर्ड से वर्कशेड का निर्माण
के लिए उत्पादन अवसंरचना विकास के तहत सहायता माँगी है |

की (रू.....सं कयर बोर्डदिनांकआदेश सं
वित्तीय सहायता देने में खुशी महसूस कर रहा है कयर बोर्ड द्वारा जो बताए गए आदेश प्रति के |
नाम से संदर्भित किया गया है जो संलग्न है और अन्य दस्तावेजों के साथ इस समझौते के तहत
| जारी करें जो समझौता का भाग बनता है

कयर एकक यह प्रमाणित करता है कि वर्कशेड के लिए निर्ध (1)ारित जमीन कयर एकक की
अपनी है और यह ऋण से मुक्त है |

दिए गए कार्य के लिए ,कयर एकक यह जिम्मेदारी लेता है और मान लेता है कि अनुदान राशी (2)
| ही उपयोग किया जाएगा

| एकक अपने परिसर और योजना के अंतर्गत निर्मित शेड को केवल एकक केलिए उपयोग करेगा (3)
इसके लिए खरीदे गए उपकरणों को बिना कयर बोर्ड के पूर्वानुमति के लीज में नहीं दिया जाएगा |

,एकक किसी प्रकार का मोर्टगेज नहीं बनाएगा या हैपोलीकेशन के ज़रिए बदलाव नहीं लाएगा (4)
| इसे गिरवी में नहीं रखेगा या किसी अन्य प्रकार के ऋण से मुक्त रखेगा

सहायता एक किशत में दी ज (5)ाएगी|

कयर बोर्ड द्वारा अनुमोदित अभिकल्पना के अनुसार ही एकक वर्क शेड तैयार करेगा और कयर (6)
|बोर्ड के अधिकारियों के निर्देशानुसार ही काम करेगा

| खरीदे गए उपकरण कयर बोर्ड द्वारा बताए गए स्तर के होना चाहिए (7)

जिन कयर एकक को उत्पादन शुरू करने के लिए ग्रेट (8) मिलती है वे तुरंत ही इमारत निर्माण का काम शुरू करें और मशीनरी को अधिस्थापित करें वे कयर बोर्ड के अधिकारियों या जहाँ एकक स्थित हो वहाँ के सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच के लिए परिसर उपलब्ध कराएँ । ,

कयर एकक उपयुक्त वाउचर और बिल के साथ अलग खाता बनाए रखे (9)गा कयर बोर्ड की ओर से लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा अधिकारी | अधिकारियों की तरफ से जांच का इंतजाम करेंगे/ कयर बोर्ड के | अनुमोदित प्लान के मुताबिक वर्क शेड के निर्माण का प्रमाण पत्र कयर बोर्ड को दें अधिकारियों से उपकरणों की जांच करवाएं एवं अधिकारियों द्वारा जांच किए प्रमाण पत्र कयर बोर्ड को सौंपे।

दिनों के अंदर एवं उपकरणों को खरीदने के बाद से 30 कयर एकक शेड के निर्माण के (10) नष्ट होने से बचने के लिए बीमा करवाएं/हानि, पॉलीसी कयर बोर्ड के पक्ष में हों। एकक को सहायिकी प्राप्त होने की तारीख से लेकर वर्ष तक 5प्रीमियम राशि भरकर पालिसी को जारी रखनी है ।

.11यदि कयर एकक शर्तों के भंग करने या प्राप्त अनुदान रकम को किसी अन्य के लिए उपयोग करें ऐसे में सहायक राशी के पूरे रकम को तुरंत ही कयर बोर्ड को लौटानी होगी और मालिक इसके लिए जिम्मेदार होगा ।

.12इस समझौते के हर जो भी बहस होगी वह कोच्चिन अधिकारिता के अधीन होगी ।

.13समझौतानिम्नलिखित के साक्ष्य में पार्टी द्वारा कार्यान्वित हैं।

.14साक्ष्य जहाँ श्री सचिव कयर बोर्ड मेसर्स श्रीमती/या उनके नामिति के लिए कयर बोर्ड का मोहर लगाए हैं दिन और साल जो ऊपर बताया गया है।

द्वारा हस्ताक्षरित.....

गवाह की उपस्थिति में.....

गवाह

द्वारा हस्ताक्षरित

उप क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी/क्षेत्रीय), कयर बोर्ड (

फार्म नंबर 1

कयर बोर्ड

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार , P.B.No.1752, एम जी रोड , एर्नाकुलम,
कोची
682,016

उत्पादन अवसंरचना के विकास योजना के तहत कयर आधारित इकाइयों की स्थापना के लिए
वित्तीय सहायता प्राप्त करने का आवेदन-

भाग A

1. आवेदक का नाम
2. अन्य विवरण
जन्म तिथि
समुदाय: अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक /
अन्य
3. संचार के लिए पता
पता: 1
पता 2 :
डाक घर :
तालुक:
गाँव :
राज्य:
जिला :
पिन कोड :
टेलीफोन नंबर :
4. .पैन कार्ड /आधार संख्या- :

भाग B

- 1.संगठन का प्रकार
मालिक /भागीदारी /एसएचजी /गैर सरकारी संगठन /प्रा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी/
सहकारी सोसायटी/अन्य /
निर्दिष्ट करें- :

84

(2)स्थापना की तारीख

तारीख महीना YY

(3)पंजीकरण नियम के तहत 2008 कयर बोर्ड पंजीकरण

संख्या

तारीख

(4)जिला उद्योग केंद्र से (ई) एमएसएमईडी पावती

। संख्या

तारीख

(5) डीआईसी प्रमाण पत्र के अनुसार उत्पादन शुरू होने की तिथि

अगर भागीदारी का विषय है, तो नोटरी द्वारा सत्यापित पंजीकृत साझेदारी विलेख संलग्न करें।
कंपनी हैं, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां, एसोसिएशन व ज्ञापन के साथ साथ-कंपनियों के
रजिस्ट्रार

संस्था के लेख। सहकारी सोसायटी हैं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पंजीकरण,
संलग्न किया जा सकता है। अगर गैर सरकारी संगठन /एसएचजी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी
पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न किया जा सकता है।

3 कच्चे माल के स्रोत सामग्री { भूसी फाइबर मज्जा आदि }

.4क्या अनुसूचित जाति / अल्पसंख्यक / महिला / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जनजाति /
अन्य

.5कुल निवेश

i. बिल्डिंग

निर्माण की टाइप

कुल कुर्सी क्षेत्रफल

कुल मूल

स्थानीय अनुमोदन

अधिकार

ii. * भिगोने टैंक (

iii. पम्पसेट

iv. सुखाने के लिए यार्ड

v. डीजल जेनरेटर व्यय / डीजल इंजन /

यूनिट के लिए ग्रामीण फीडर से बिजली लाइन। यदि जनरेटर), की प्रति
सक्षम प्राधिकारी से अनुमति संलग्न किया जाना है।

vi. मशीनरी और उपकरण **

मशीन का नाम।

क्षमता वर्ष MFR का नाम।

पंजीकरण।

- a(
- b(
- c(
- d(
- e(
- f

विस्तृत ड्राइंग *, अनुमान, मूल्यांकन प्रमाण पत्र और स्थिरता प्रमाण पत्र
 एक चार्टर्ड सिविल इंजीनियर से वर्ष की न्यूनतम अवधि(, प्रतियों की चालान रसीद / बिल /,
 मशीनरी का ब्यौरा आदि संलग्न किया जाना है।
 बिलों की सत्यापित प्रतियां **, नकद प्राप्तियों, प्रदर्शन की प्रतिलिपि
 बिजली से मशीनरी निर्माता का प्रमाण पत्र, दस्तावेज
 प्राधिकरण संलग्न किया जाना है।

86

6 धन की स्रोत : बैंक स्वयं अन्य स्रोत

7 पावर के स्रोत ()

बिजली की तिथि
 कनेक्शन उपभोक्ता
 कार्ड नंबर।

(.8भूमि

खुद की लीज विस्तार
 सर्वे नं
 गाँव
 तलूक
 जिला

9) कार्यरत व्यक्तियों ।

उपलब्ध प्रशिक्षित योग्य व्यक्तियों /

हां नहीं

बाल श्रम (का सहारा लिया जाता है, हां नहीं
 ककिसी भ (

यदि इस यूनिट ने किसी प्रकार की सहायता लिया हैं या नहीं

ख) (जी हां ,विवरण और तारीखों प्रस्तुत करें तो जिस पर
 सहायता प्राप्त किया गया था

.12 क्या प्रदूषण नियंत्रण औपचारिकतायें पूरा हुआ हैं
बैंक खाते का विवरण .13
ग) बैंक का (नाम और शाखा- :
घ-) : कोई खाता नहीं है। (पास बुक की प्रति संलग्न किया जाए)

नाम और हस्ताक्षर
आवेदक
स्थान (सील)

आरओ एसआरओ द्वारा आवेदन पत्र की /प्राप्ति की तिथि

नोट .1 मूल भूमि डीड की : कॉपी संलग्न किया जाना चाहिए

भूमि दस्तावेज अंग्रेजी संस्करण सत्यापित, नोटरी पब्लिक द्वारा संलग्न किया जाना चाहिए ।

एक वकील से कानूनी राय चाहिए दस्तावेजों भूमि को कयर बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी ।

.4, नोटरी द्वारा पट्टा समझौते की सत्यापित प्रति भूमि पट्टे पर किया जाता है

.5 कयर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों मशीनरी, वर्कशेड आदि के अनुसार होनी चाहिए

आवेदन फार्म -2

कयर बोर्ड

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार (P.B.No.1752, M.G.ROAD, एर्नाकुलम,
KOCHI-
682,016

कयर इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए

उत्पादन अवसंरचना के विकास के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन

भाग एक-

1. आवेदक का नाम
2. अन्य विवरण

(i) जन्म तिथि

(ii)समुदाय / अल्पसंख्यक / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति :

अन्य

3. संचार के लिए पता

पता 1

पता 2

डाक घर :

तालुक:

गाँव :

राज्य:

जिला :

पिन कोड :

टेलीफोन नंबर :

4. पैन कार्ड - :आधार संख्या /

भाग बी

1.(अ). संगठन का प्रकार

मालिक / भागीदारी प्रा। पब्लिक लिमिटेड क / गैर सरकारी संगठन / एसएचजी /कंपनी

अन्य * / सहकारी सोसायटी /

- :निर्दिष्ट करें *

(ब) यूनिट के प्रकार

स)स्थापना की तारीख

द)सहायता पहले का लाभ उठाया था, जिस पर तिथि (घ)

इ)पंजीकरण कयर बोर्ड नियम 2008 के तहत पंजीकरण

संख्या ।

तारीख

ए)डीआईसी से एमएसएमईडी पावती
ज)वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन
तारीख

डीआईसी प्रमाण पत्र के अनुसार उत्पादन शुरू होने की तिथि (छ)
महीना YY

.1 जब भागीदारी का विषय है, तो कर्म नोटरी द्वारा सत्यापित पंजीकृत भागीदारी संलग्न करें

.2अगर कंपनी से पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न एसोसिएशन व ज्ञापन के साथ साथ-
कंपनियों के रजिस्ट्रार संस्था के लेख

.3यदि सहकारी सोसायटी, सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण संलग्न किया जा सकता है।

.4यदि गैर सरकारी संगठन एसएचजी /, सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न
किया जा सकता है।

.2 अनुसूचित जाति / अल्पसंख्यक / महिला / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जनजाति /अन्य

.3 कुल निवेश

(i)बिल्डिंग

(ii)भिगोने टैंक

(iii)कुआँ और पंप सेट

(iv)सुखाने यार्ड

(v) डीजल जेनरेटर / डीजल इंजन /यूनिट के लिए ग्रामीण फीडर से बिजली लाइन खींचने का व्यय
मौजूदा मशीनरी और उपलब्ध उपकरणों की

vi) उपलब्ध मशीनरी और उपस्कार की सूची

1	मशीन का नाम	क्षमता	निर्मित वर्ष	निर्माता का नाम	मूल्य
2					
3					
4					
5					

(vii) प्रस्तावित मशीनरी/उपकरण का विवरण

स्थापित (अतिरिक्त या स्थानापन्न के रूप में) **

	मशीन का नाम	क्षमता	निर्मित वर्ष	निर्माता का नाम	मूल्य

5. पिछले 3 सालों में यूनिट कितने दिन काम किया

वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3

--	--	--

विस्तृत ड्राइंग *, अनुमान, मूल्यांकन प्रमाण पत्र और स्थिरता प्रमाण पत्र के लिए)

एक चार्टर्ड सिविल इंजीनियर से (वर्ष की न्यूनतम अवधि 10) चालान रसीद / बिल /, मशीनरी का ब्यौरा आदि संलग्न किया जाना है।

बिलों की सत्यापित प्रतियां **, नकद प्राप्तियों, प्रदर्शन की प्रतिलिपि बिजली से मशीनरी निर्माता के प्रमाण पत्र, दस्तावेज प्राधिकरण संलग्न किया जाना है।

6. पिछले तीन वर्षों के लिए वित्तीय / उत्पादन स्थिति

वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3

मात्रा मेट्रिक टन में

(एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित पिछले तीन साल के लिए वित्तीय विवरण संलग्न करें।)

.7 यूनिट पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा था, तो कारण क्या है

.8 ढांचागत सुविधाएं अर्थात्। इमारत मौजूदा), गड्ढों सोख आदि में सुधार लाना हैं , विवरण और उसकी लागत प्रस्तुत।

.9 क्या अतिरिक्त ढांचागत सुविधाओं का प्रस्ताव है

उपलब्ध कराए गए अर्थात्। इमारत), ठीक है, Pumpset आदि की विस्तार यदि हां (, तो प्रस्तुत विवरण और उसके लागत

10. अतिरिक्त धन का स्रोत

बैंक
भूमि

स्वयं

अन्य स्रोत

अपना	गिर्वी	विस्तार

11. बिजली की आपूर्ति के स्रोत
जेनरेटर

विद्युत बोर्ड

12.(ए)कार्यरत व्यक्तियों की संख्या

(बी) किसी भी बाल श्रम का सहारा लिया जाता है

हाँ नहीं

.13किसी भी बैंकों से इस इकाई के लिए सहायता लिया गया/ /अन्य वित्तीय संस्थानों, तो
विवरण दिया जाए

हां नहीं

14. बैंक खाते का विवरण.

क- :बैंक का नाम और शाखा (

ख-खाता संख्या

बैंक पास बुक की प्रति संलग्न करें(

नाम और आवेदक के

हस्ताक्षर

जगह

तारीख

नोट : मशीनरी, वर्कशेड आदि कयर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए ।